

उत्तराखण्ड शासन

श्रम विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी, 2026 ई0

संख्या-365021/VIII-1/2025-782(श्रम)2003(ई-91811)-श्री राज्यपाल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020(संख्या-37 वर्ष 2020) (The Occupational Safety, Health and working conditions code, 2020)(संख्या-12 वर्ष 2025) की धारा-34(1) तथा ब्वायलर अधिनियम, 2025(The Boiler Act, 2025) की धारा-5(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों को स्तम्भ-3 में अंकित क्षेत्रों के लिये क्रमशः निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता (Inspector Cum Facilitator) तथा निरीक्षक (Inspector) नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1-	सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर, ऊधमसिंहनगर।	जनपद ऊधमसिंहनगर। (काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर तहसील क्षेत्र को छोड़कर)
2-	सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार।
3-	सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर, हल्द्वानी।	जनपद- नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत एवं जनपद ऊधमसिंहनगर के काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर तहसील क्षेत्र।
4-	सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर, देहरादून।	जनपद- देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग।

आज्ञा से,

डा0 श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 07-02-2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 श्रम/71-06-03-2026-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)